डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. मोतीलाल पुत्र मोडी जाति मीना निवासी गांवडा मीना तहसील हिण्डौन–मृतक

1/1. रामकेश पुत्र स्व0 मोतीलाल
1/2. रामबाबू पुत्र स्व0 मोतीलाल
1/3. रामनारायण पुत्र स्व0 मोतीलाल
1/4. हरकेश पुत्र स्व0 मोतीलाल
1/5. बतूली बेबा मोतीलाल

समस्त जाति मीना निवासी गांवडा मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ————————— वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला करौली राजस्थान —————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा **मुकदमा नं0 128/2023**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री कर्मेन्द्र कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू .... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 581/1 रकवा 1.68 है0, 595 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.10.2025 को यह डिक्री जारी की गई।

29/10/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 128/2015

तारीख रजूः– 12.10.2015

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर
R.A.S.

1. मोतीलाल पुत्र मोडी जाति मीना निवासी गांवडा मीना तहसील हिण्डौन–मृतक

1/1. रामकेश पुत्र स्व0 मोतीलाल

1/2. रामबाबू पुत्र स्व0 मोतीलाल

1/3. रामनारायण पुत्र स्व0 मोतीलाल

1/4. हरकेश पुत्र स्व0 मोतीलाल

1/5. बतूली बेवा मोतीलाल

समस्त जाति मीना निवासी गांवडा मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————— वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला करौली राजस्थान ———————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–1. श्री कर्मेन्द्र कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिंनाक :– 29.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 597 रकवा 0.91 है0 ग्राम गावडा गूर्जर तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी के नाम रेवन्यू रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2071–74 में दर्ज है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 591 रकवा 0.13 है0, खसरा नम्बर 592 रकवा 0.11 है0, खसरा नम्बर 593 रकवा 0.14 है0, खसरा नम्बर 594 रकवा 0.15 है0, खसरा नम्बर 595 रकवा 0.19 है0, खसरा नम्बर 596 रकवा 0.19 है0,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कुल किता 06 कुल रकवा 0.91 है0 ग्राम गावडा गूर्जर तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी के नाम रेवन्यू रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2071–2074 में दर्ज है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 581/1 रकवा 1.68 हेक्टर गै.मु.पहाड ग्राम गावडा गूर्जर में स्थित है जिसकी खातेदारी राज. सरकार के नाम दर्ज है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि सेटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा दौराने सेटिलमेन्ट मौजूदा खसरा नम्बर 597 को साविक नम्बर 403 रकवा 4 बीघा 4 विस्वा से खसरा नम्बर 591, 592, 593, 594, 595, 596 के साविक खसरा नम्बर 402 रकवा 3 बीघा 6 विस्वा से तथा खसरा नम्बर 581/1 को साविक खसरा नम्बर 394 रकवा 9 बीघा 7 विस्वा से बनाकर तरमीम कर दिया है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि वादी साविक आराजी खसरा नम्बर 402 रकवा 3 बीघा 6 विस्वा तथा खसरा नम्बर 403 रकवा 4 बीघा 4 विस्वा यानि कुल 7 बीघा 10 विस्वा पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है तथा आज भी काश्त कर रहा है। सेटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा साविक खसरा नम्बर 403 रकवा 4 बीघा 4 विस्वा से नवीन नम्बर 597 रकवा 0.91 हेक्टर बना कर 14 ऐयर रकवा कम कर दिया इसी प्रकार साविक खसरा नम्बर 402 रकवा 3 बीघा 6 विस्वा से नवीन खसरा नम्बर 591, 592, 593, 594, 595, 596 बनाकर उनका रकवा 0.91 बनाकर 8 ऐयर रकवा बढा दिया जबकि दोनों साविक नम्बरान अलग अलग है तथा वादी का 6 ऐयर रकवा फिर भी कम कर दिया तथा उसे खसरा नम्बर 581/1 में मिला दिया इस प्रकार सेटिलमेंट कर्मचारियों द्वारा मौजूदा रिकॉर्ड साविक रिकॉर्ड से भिन्न बना दिया है जो ना तो ट्रेस से मेल खाता है ना ही मिलान क्षेत्रफल बैठता है जिसे दुरूस्त करवाने का वादी मुश्तहक है तथा वादी आराजी खसरा नम्बर 581/1 रकवा 1.68 हैक्टर में से 0.06 हेक्टर भूमि अपने नाम कराने का मुश्तहक है।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि वादी को उक्त आराजी कम होने का पटवारी हल्का से जानकारी होने पर समस्त कागजात एकत्रित कर तहसीलदारजी से दिनांक 06.10.15 को उनके कार्यालय में मिला तो मौजूदा रिकॉर्ड को साविक रिकॉर्ड के अनुसार दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने साफ इंकार कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश करवा कर दुरूस्त करवालो नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी मौजूदा रिकॉर्ड से अधिक भूमि से बेदखल कर दूंगा इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी इस गैरकानूनी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी। अतः दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के कर्मचारी है उनके खिलाफ दावा पेश करने से 2 माह का पूर्व नोटिस धारा 80 जा.दी. दिया जाना कानूनन आवश्यक है लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण दावा अन्तर्गत धारा 80:2 जा.दी. की स्वीकृति से पेश किया जा रहा है। यदि 2 माह का पूर्व नोटिस दिया जाता है तो प्रतिवादीगण अपने उद्देश्य में सफल हो जावेंगे इसलिए दावा धारा 80:2: जा. दी. के तहत स्वीकृति लेकर पेश किया जा रहा है।

वाद पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 06.10.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा साविक रिकॉर्ड के अनुसार नवीन रिकॉर्ड दुरूस्त नहीं करने तथा बेदखल कराने की धमकी देने से बमुकाम ग्राम गावडा गुर्जर तहसील हिण्डौन इस सम्मानीय अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है। दावा हाजा अन्दर म्याद पेश हैं।

वाद पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि विनाय दावा व निवास फरीकेन व स्थित भूमि विवादग्रस्त की दृष्टि से सुनवाई व समाअत का अधिकार इस सम्मानीय अदालत को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि दावा अन्दर म्याद पेश है जिस पर निश्चित कोर्ट फीस अदा की गई है।

वाद पत्र के मद नं11 में दर्ज किया है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न इस्तदुआ की प्रार्थना करता है:-

वाद पत्र के मद नं11 क में दर्ज किया है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर मौजूदा खसरा नम्बर 597 रकवा 0.91 ग्राम गावडा गूर्जर तहसील हिण्डौन की जगह रकवा 1.05 हेक्टर किया जावे तथा उक्त रकवा 581/1 रकवा 1.68 हेक्टर में से 0.06 है0 तथा शेष रकवा 595/0.19 है0 में से 0.08 है0 कम किया जावे तथा खसरा नम्बर 597 रकवा 1.05 है0 बनाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा मौजूदा रिकॉर्ड साविक रिकॉर्ड के अनुसार दुरूस्त फरमाया जावे।

वाद पत्र के मद नं11 ख में दर्ज किया है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावे िकवे आराजी खसरा नम्बर 597 रकवा 1.05 हेक्टर ग्राम गावडा गूजर में वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करे वादी को बेदखल नहीं करें। वादी को काश्त नहीं करने से नहीं रोके तथा ऐसा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कोई कार्य न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें। जिससे हकूक वादी पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

वाद पत्र के मद नं11 ग में दर्ज किया है कि अन्य कोई न्यायोचित दादरसी जो न्याय संगत करीने इंसाफ बहक वादी पाई जावे वह भी अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित आये तथा जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि मद नं01 इस हद तक स्वीकार है कि ग्राम गांवडा गूर्जर स्थित खसरा नम्बर 597 रकबा 0.91 है0 संलग्न पत्रावली नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 खाता सं0 173 पर वादी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि मद नं02 इस हद तक स्वीकार है कि ग्राम गांवडा गूर्जर स्थित खसरा नम्बर 591, 592, 593, 594, 595, 596 किता 6 रकबा 0.91 है0 संलग्न पत्रावली नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 खाता सं0 172 पर दर्ज वादी खातेदारी अंकित है।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि मद नं03 इस हद तक स्वीकार है कि इस मद में अंकित खसरा नम्बर 581/1 रकबा 1.68 है0 गै0मु0 पहाड ग्राम गांवडा गूजर जमाबन्दी सं0 2071–74 खाता संख्या 1 में सिवायचक राजस्थान सरकार दर्ज रिकार्ड है।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि मद नं04 इस हद तक स्वीकार है कि पत्रावली में संलग्न नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम गांवडा गूर्जर हाल खसरा नम्बर 597 रकबा 0.91 है0 साबिक खसरानम्बर 403 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा से तथा हाल खसरा नम्बर 591 लगायत 596 किता 6 कुल रकबा 0.91 है0, साबिक खसरा नम्बर 402 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा से तथा इस मद में अंकित खसरा नम्बर 581/1 रकबा 1.68 है0 मिलान क्षेत्रफल नकल से दर्ज हाल खसरा नम्बर 581 रकबा 2.18 है0 साबिक खसरा नम्बर 394 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा से बना है।

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि मद नं05 अस्वीकार है क्योंकि भू–प्रबन्ध हुए 27 वर्ष हो चुके हैं तथा भू–प्रबन्ध द्वारा कब्जे के आधार पर हाल खसरा नम्बरों का रकबा दर्ज अंकन किया गया है। वादी द्वारा 6 एयर कमी भूमि का अनुतोष खसरा नम्बर 581/1 रकबा 1.68 है0 किस्म गै0मु0 पहाड से चाहा गया है जबकि वादी के खसरा नम्बरान से लगा हुआ खसरा नम्बर 581/2 रकबा 0.50 है0 राजकीय उच्च

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्राथमिक विधालय, गांवडागूर्जर को आवंटित किया जाकर नामान्तकरण सं0 459 के खातेदारी की जा चुकी है। ख0 नं0 581/1 वादी के दर्ज खातेदारी भूमि से दूर स्थित है।

जबावदावा के मद नं06में दर्ज किया है कि मद नं06 लाइल्मी अस्वीकार है।

जबावदावा के मद नं07 में दर्ज किया है कि मद नं07 कानूनी है।

जबावदावा के मद नं08में दर्ज किया है कि मद नं08 लाइल्मी अस्वीकार है।

जबावदावा के मद नं09 में दर्ज किया है कि मद नं09 कानूनी है।

जबावदावा के मद नं010 में दर्ज किया है कि मद नं010 अस्वीकार है क्योंकि भू-प्रबन्ध का हाल रिकार्ड करीब 27 वर्ष पूर्व ही अमल आ चुका था, इसलिए दावा मियाद बाहर है।

जबावदावा के मद नं011 में दर्ज किया है कि मद नं011 के क,ख,ग माननीय न्यायालय से सम्बन्ध है।

अन्य तथ्य :-

जबावदावा के मद नं012 में दर्ज किया है कि भू-प्रबन्ध हुए 27 वर्ष हो चुके हैं। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा कब्जे के आधार पर वादी को खसरा नम्बर व रकबा खातेदारी अंकित की गई है। वादी द्वारा कमी रकबा खसरा नम्बर 581/1 रकबा 1.68 है0 किस्म गै0मु0 पहाड से अनुतोष चाहा गया, जो वादी के दर्ज खसरा नम्बरों से दूर अवस्थित है। इसलिए दावा खारिज योग्य है।

अतः जबावदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मय हरजा खरचा दावा खारिज फरमाया जावे।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2035-38 प्रदर्श-2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-3, नकल नकशा ट्रेस साबिक खसरा नम्बरान प्रदर्श- 4, नकल जमाबन्दी सं0 2071-74 प्रदर्श-5, 6, 7, पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी रामकेश पुत्र स्व0 मोतीलाल जाति मीना निवासी गांवडा मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली का शपथ पत्र वास्ते वयान पेश कर बयान दर्ज कराये हैं।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2035—38 प्रदर्श— 2 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 403 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन की खातेदारी मोतीलाल पुत्र मौडी जाति मीना निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—3 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन के साबिक खसरा नम्बरान से नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं :—

साबिक खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
402 मिन	3 बीघा 6 बिस्वा	591	0.13
		592	0.11
		593	0.14
		594	0.15
		595	0.19
		596	0.19
403	4 बीघा 4 बिस्वा	597	0.91
404 मिन	3 बीघा 19 बिस्वा	598	0.19
398 मिन	—	590	0.27
401 मिन	—		
394	9 बीघा 7 बिस्वा	581	2.18

नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 प्रदर्श—5 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 597 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन की खातेदारी मोतीलाल पुत्र मॉडी जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 प्रदर्श—6 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 591 रकबा 0.13 है0, 592 रकबा 0.11 है0, 593 रकबा 0.14 है0, 594 रकबा 0.15 है0, 595 रकबा 0.19 है0, 596 रकबा 0.19 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन की खातेदारी मोतीलाल पुत्र मोडी जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 प्रदर्श–7 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 581/1 रकबा 1.68 है0 किस्म गै0मु0 पहाड वाके ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन की खातेदारी जिम्मन नम्बर 1 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 402 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, 403 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम गांवडा गूजर के दौराने सेटिलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 597 रकबा 0.91 है0, 591 रकबा 0.13 है0, 592 रकबा 0.11 है0, 593 रकबा 0.14 है0, 594 रकबा 0.15 है0, 595 रकबा 0.19 है0, 596 रकबा 0.19 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.82 है0 वाके ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन कायम किये गये हैं। जो साबिक रकबा के अनुसार सही कायम किये गये हैं। जितना रकबा सेटिलमेन्ट से पूर्व वादी का था उतना ही रकबा सेटिलमेन्ट विभाग के द्वारा नवीन राजस्व रिकार्ड में दौराने सेटिलमेन्ट दिया गया है। वादीगण के द्वारा अपने दावे को साबित करने के लिए साबिक खसरा नम्बरों की नक्शा ट्रेस पेश की है किन्तु मिलान करने के लिए नवीन खसरा नम्बरों की नक्शा ट्रेस पेश नहीं की गई है, जिसके अभाव में वाद पत्र के मद नं0 11 क में चाही गई रिलीफ बाबत खसरा नम्बर 597 रकवा 0.91 ग्राम गावडा गूर्जर तहसील हिण्डौन की जगह रकवा 1.05 हेक्टर किया जावे तथा उक्त रकवा 581/1 रकवा 1.68 हेक्टर में से 0.06 है0 तथा शेष रकवा 595/0.19 है0 में से 0.08 है0 कम किया जावे तथा खसरा नम्बर 597 रकवा 1.05 है0 बनाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे की पुष्टि हो सके। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 581/1 रकवा 1.68 है0, 595 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/10/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)